मु. सं. 30/2020

15/3/24
पत्रावली पेश हुया उभयपक्ष ......
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/
अवकाश में है। पत्रावली मासिक आदेश में
दिनांक 30/5/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

30/5/24
पत्रावली पेश हुया उभयपक्ष ......
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/
अवकाश में है। पत्रावली मासिक आदेश में
दिनांक 7/5/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

7/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील उपभयपक्ष उपस्थित वादपत्र में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुशुदा प्रार्थनापत्र दिनांकित 04/08/2022 पर आज वकुलाय फरीकेन द्वारा बहस करना चाहने से प्रार्थनापत्र पर बहस उभयपक्ष सूनी गई। बहस के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया की मौजूदा वाद की आदेशिका दिनांक 08.03.204 से विपक्षीगणों के विरूद्ध हो चुकी एकपक्षीय कार्यवाही को पुनः दो तरफा कराये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित विद्वान अभिभाषक के प्रस्तुत तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एव मूल प्रार्थनापत्र बारीकी से अध्ययन एवं परीक्षण किया गया प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब हेतु दिनांक 19.01.2021 से अवसर प्रदान किये गये परन्तु प्रतिवादी संख्या 1,2,4,5,8,9 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया जिसके उपरान्त दिनांक 21.09.2021 को प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब हेतु अन्तिम अवसर भी दिया गया फिर भी प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नही किया गया तद्परान्त जवाब बन्द किया गया ।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र में कोई युक्ति–युक्त कारण प्रस्तुत नही किया जिससे विपक्षीगणों के विरूद्ध हो चुकी एकपक्षीय कार्यवाही को पुनः दो तरफा कराये दो तरफा किया जावें।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र (दो तरफा) अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 14.05.2024 को पेश हो।

14/5/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रतिवादी अनु.। वकील वादी बटवारा प्रस्ताव से सहमत।

बटवारा प्रस्ताव
सहमत हूँ
वादी अधि.

ण
त
23
को
गर
न्क
सूच

Scanned with ACE Scanner

प्रकरण मे वकील वादी कि एक
तरफा बहस सुनी गई। तहसीलदार
हमीरगढ से प्राप्त बटवारा प्रस्ताव
एवं पत्रावली का अवलोकन
किया गया। वादी के हिस्से
अनुसार विभाजन प्रस्ताव
बनाया गया। तहसीलदार
हमीरगढ द्वारा प्रेषित विभाजन
प्रस्ताव स्वीकार किया जाता
है। विधिवत पृथक से लिखाया
जाकर जारी किया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)